

तारीख
हुगम

हुगम या कार्यवाही गम इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुगम की तारीख
में जारी हुए

03.10.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री बालाराम गोदारा उपस्थित।
विप्राथीगण नोटिस तारीख होने के बावजूद अनुपस्थित। अतः विप्राथी संख्या
01 से 20 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व
रेकॉर्ड व संलग्न दरतावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि
के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड
खातेदार हैं और रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी
करवाने के लिए स्वतंत्र है। जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है। प्रार्थीगण अधिवक्ता
द्वारा ऐसा कोई दरतावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो कि
विवादित भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही पूर्व में हो रखी हो। ऐसी सूत्र में
नेखमबन्दी करने से पूर्व विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाना आवश्यक है।
अतः उक्त भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही करने के बाद नेखमबन्दी किये जाने में
कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रवीकार किया जाकर प्रार्थीगण की
मौजा कानारार गौलाई, तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा
नम्बर 433/283 रकबा 14.4715 हैक्टेयर विवादित भूमि के संबंध में पूर्व
सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा
नियमानुसार वहन किया जायेगा। तत्पश्चात कार्यवाही विवादित भूमि के चारों
तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु भू-अगिलेख
निरीक्षक कानारार को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त कार्यवाही
प्रार्थीगण एवं विप्राथीगण को पूर्व में जशिये नोटिस/पत्र से सूचित करते हुए एक
निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जायें। कमिश्नर शुल्क 500/- प्रार्थीगण मौके
पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर एस.एच.ओ. शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त
करने हेतु अधिकृत किया जाता है। भू-अगिलेख निरीक्षक कानारार बाद
पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहसीर जारी हो।

पत्रावली फेराल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिवक्ता
शिव (गौलाई)

